न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 29/2020 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2020/00012

1. कानीराम पुत्र रूपाराम जाति ब्राह्मण निवासी किसनासर तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1.. मूलाराम (मृत्तक) पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी लाछडसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू (का नाम आदेश दिनांक 09.08.2019 से हटाया गया)।
2. माल कंवर पत्नी मूलासिंह जाति राजपूत निवासी लालासर हाल आबाद लूनकरणसर जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनकरणसर। (को आदेश दिनांक 09.08.2019 से पक्षकार बनाया गया)

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री राजेश बैद — अभिभाषक अपीलांट
मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 18.08.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश दिनांक 31.07.1999 के विरुद्ध प्रस्तुत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत हुई, जो राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 द्वारा इस न्यायालय को हस्तांतरित हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि ग्राम राजपूरा हूडान के खसरा नंबर 200/1 में 15 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट सं. 2 माल कंवर को हुआ था। रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने उक्त वादगत भूमि अपीलांट को दिनांक 10.09.1990 को विक्रय कर दी। रेस्पोडेंट सं. 1 मूलाराम ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत एक शिकायत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.1999 पारित कर वादगत भूमि के आवंटन को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2— अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि रेस्पो. सं. 2 माल कंवर को दिनांक 08.09.1970 को आवंटित हुई, जिस पर वह तभी से काबिज होकर काश्त करने लगा तथा बाद में उक्त रकबे की आवंटी को खातेदारी भी मिल गई। उक्त भूमि आवंटी ने अपीलांट को दिनांक 10.09. 1990 को विक्रय कर दी, जिसके पंश्चात् अपीलांट ही उक्त वादगत भूमि पर काश्त करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. सं. 1 के शिकायत प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो उचित नहीं है, क्योंकि माल कंवर के पति एक साधारण ऊंट सवार के पद पर कार्यरत था, जिसकी आय उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नही मानी जा सकती। इसलिए जीवन यापन के लिए माल कंवर एवं उसका परिवार शुरू से ही भूमि काश्त करते रहे है। आराजी जैर अपील की खातेदारी प्राप्त हो चुकी थी और रेस्पो. सं. 2 ने उक्त रकबा अपीलांट को विक्रय कर दिया था। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि में अपीलांट का ही हित है और वह उससे प्रभावित है। उपरोक्त प्रकरण में मूल आवंटी मालंकवर के पति मूलसिंह को शिकायत प्रार्थना पत्र में ऊंट सवार के पद पर कार्यरत होना अंकित किया गया है। माल कंवर को मूल आवंटन दिनांक 08. 09.1970 को हुआ है, जो अधिसूचना दिनांक 07.01.1983 से पूर्व का होने से किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर वादगत भूमि को पुनः बहार कर अपीलांट के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट की ओर से निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए:—

- आर.आर.टी. 2009(1) पेज सं. 453
- आर.आर.टी. 2018(1) पेज सं. 299
- आर.आर.टी. 2018(2) पेज सं. 1007
- आर.आर.टी. 2017(2) पेज सं. 878

3— राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि आवंटी का पति राज्य सरकार की सेवा में सरकारी कर्मचारी था। आवंटन नियम 1970 के नियम 11(1) के तहत भूमि केवल काश्तकारी अधिनियम में यथा परिभाषित किसी भूमिहीन व्यक्ति को जिस सीमा तक वह भूमिहीन है, भूमि आवंटित किये जाने का प्रावधान हैं। आवंटी का पति राजकीय सेवा में होने से आजीविका का मुख्य

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

साधन वेतन था तथा पति–पत्नी अलग इकाई के रूप में नहीं देखा जा सकता। ऐसी अवस्था में पत्नि को अलग ईकाई मानते हुए मुख्य रूप से कृषि पर आधारित जीविकोपार्जन करना भी नही माना जा सकता क्योंकि पति पत्नि जो एक ही ईकाई के रूप में है उनकी आय का मुख्य स्त्रोत राज्य सेवा से प्राप्त वेतन है ना कि पत्नि का कृषि पर आधारित व्यवसाय से होने वाली आय है। उक्त परिस्थिति में आवंटी द्वारा आवंटन नियमों के विरूद्ध प्राप्त किया गया है। इसप्रकार अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

4– हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों, न्यायिक दृष्टांत एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.1999 पारित करते हुए रेस्पो. सं. 2 को आवंटित वादगत भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश सभी पक्षकारों को सुनकर एवं समस्त अपीलाधीन तथ्यों की जांच कर पूर्ण विवेचन करते हुए पारित किया गया है, जो न्यायोचित है। हम अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है। उक्त परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.1999 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर